22.11.21

पत्रा-पेशकर्ता / अभि. के द्वारा अति. उप. नगरी
रेलवे, अति. की अनुकम्पा नियुक्ति के प्रार्थी
अति. की V.K. बाहरे उप / अधी. के द्वारा
आज को एक बजे अवमान नोटिस भी
लेकिन कोई उप. नहीं हुए / अदालत उपस्थित
समय से भी नहीं हुए। अधी. के द्वारा बार.
के अवमान नोटिस भी लेकिन कोई उप.
नगरी उप / रेलवे. के प्रार्थी अति. ने अतीव
अरजेन्ट सुनवाई प्रार्थना पेश की थी, वे इसीलिए
जमानत करने का प्रयास का किया। क्योंकि
प्रकरण आज बहस के लिए नियत है। अधी. को अति.
अति. व्यक्तिगत उपस्थित है उप. नगरी पेश हो कर
अतीव अरजेन्ट सुनवाई प्रार्थना पेश की थी कि
जमानत की जावे। पत्रा. बाद सुनवाई होने
बाद तारीख तारीख दायर हो।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा